न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00347 (410/2017) 223 आरटीएक्ट

कमला पुत्री विशनाराम पत्नी हीरालाल जाति जाट निवासी भगवान हाल गुसाईयाना तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा) –अपीलाण्ट

बनाम

1. बनवारीलाल (मृतक)
   1/1 नाथी देवी पत्नी
   1/2 हरिसिंह पुत्र
   1/3 जगदीश पुत्र
   1/4 मन्जू पुत्री
   } बनवारीलाल जाति जाट निवासी भगवान हाल रिद्धी सिद्धी बी 10 नम्बर कोठी परिचौक श्रीगंगानगर।
2. धर्मपाल पुत्र श्री विशनाराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. प्रताप सिह पुत्र श्री विशनाराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोहर
5. सब रजिस्ट्रार पंजीयन विभाग नोहर।

–असल रेस्पोडेण्ट

6. विद्या देवी
7. मुनादेवी
   } पुत्रीयां बिशनाराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–तरतीबी रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.11.2010 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर प्रकरण संख्या 165/2009 बअनवानी बनवारीलाल बनाम बिशनाराम आदि

श्री हनुमानसिंह अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय सिह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 2 व 3

श्री संन्तलाल तिवाड़ी अधिवक्ता रेस्पो० सं० 1/2 व 1/3

श्री मांगीलाल गोदारा अधिवक्ता रेस्पो सं० 6

श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पो० सं० 6

निर्णय दिनांकः– 9.6.22

1. वादी बनवारीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद पेश किया। जिसमें प्रश्नगत भूमि की हिन्दू मुश्तरका परिवार की जद्दी जायदाद कृषि भूमि होना और उसमें अपना हक हिस्सा होने का कथन करते हुए अर्जीदावा की मद सं० 3 में दर्ज रोही मौजा भगवान के ख. नं. 225 की 2.9720 है० ख० नं० 277 की 4.8560 है० ख० नं० 279 की 18.1350 है० कुल 25.9630 है० भूमि में वादी व प्रतिवादी नं० 1 ता 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं प्रतिवादी नं० 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में कलमजन कर वादी व प्रतिवादी नं० 1 व 2 का हिस्सा दर्ज करने एवं खाता अलग से कामय करने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से मुताबिक राजीनामा दावा को डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट [illegible] किया कि अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पो० सं० 6 व 7 बिशनाराम [illegible] हैं एवं बिशनाराम फौत हो चुके

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हैं एवं माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पो0 6 व 7 को छुपाकर निर्णय पारित करवाया गया है जो विधि की अवहेलना में परित किया गया है। अपीलाण्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेण्ट का हिन्दु उताराधिकारी अधिनियम के अनुसार हक व हिस्सा है एवं रेस्पो0 द्वारा दावा में छुपाकर इनका हक व हिस्सा खत्म करने के लिऐ इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। मातहत अदालत में खाता तक्सीम का अनुतोष याचित किया गया था परन्तु मातहत अदालत द्वारा रेस्पो0 ने अपने हक व हिस्से की घोषणा कर दी गई एवं बिना वारिसान के जांच कर निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट का हक व हिस्सा निहित है जिस पर आधार पर अपीलाण्ट निर्णय की अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत किया है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी गई है। देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद पेश किया था। जिसमें अपीलाण्ट के पिता बिशनाराम की रेस्पोडेण्ट के मध्य राजीनामा के अनुसार प्रकरण को डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में इकबाल दावा पेश हुआ था जिसमें अपीलाण्ट के पिता बिशनाराम के हस्ताक्षर हैं। अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2016 पेज 96, आरआरडी 2018 पेज 350 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी बनवारी लाल ने अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद पेश किया था जिसमें अपीलाण्ट के पिता बिशनाराम एवं अन्य प्रतिवादीगण ने इकबाल दावा पेश किया था। इकबाल दावा पर बिशनाराम के हस्ताक्षर है। बिशनाराम अपीलाण्ट के पिता हैं। इकबाल दावा को अधीनस्थ न्यायायल में तस्दीक किया गया है, विचारण न्यायालय ने इस प्रकार उभयपक्ष के राजीनामा के उपरान्त इकबाल दावा को तस्दीक कर अपीलाधीन निर्णय पारित कि[illegible] राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री के अपील पोषणी[illegible] निर्णय एवं डिक्री दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

19.11.2020 को जारी की गई थी जबकि अपीलाण्ट ने इस निर्णय एवं डिक्री की अपील 06.12.2017 को लगभग 7 वर्ष उपरान्त पेश की है। अपीलाण्ट ने इतने लम्बे समय पश्चात् अपील प्रस्तुत करने के युक्तियुक्त कारण नहीं बताये हैं जबकि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारिवारिक रजामन्दी के आधार पर पारित किया गया है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनिमय का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज किये जाते हैं। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.6.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

9/6/22

(करतार सिंह पूनिया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:55:05 IST
Reason: SelfAttested